फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द (31687), जिला राजसमन्द

— **प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)**

बनाम

1. मैसर्स शिव शक्ति ज्वैलर्स प्रो. श्री भावेश सोनी पुत्र श्री हिम्मत लाल सोनी पता : बडा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321

— **अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 15 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी मैसर्स शिव शक्ति ज्वैलर्स प्रो. श्री भावेश सोनी पुत्र श्री हिम्मत लाल सोनी पता :– बडा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) को रूपये 3,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी / ऋणियों / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– चल सम्पत्ति Hypothecation of stock, जो पता :– बजा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.)। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 28.02.2022 को अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 20.10.2023 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 4,69,432 / – दिनांक 19.10.2023 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 20.10.2023 को जारी किया गया था।	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन *अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत* प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने ऋणी मैसर्स शिव शक्ति ज्वैलर्स प्रो. श्री भावेश सोनी पुत्र श्री हिम्मत लाल सोनी पता :– बडा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321 को रूपये 3,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रूपये 9,12,478/– वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने चल सम्पत्ति :– चल सम्पत्ति **Hypothecation of stock,** जो पता :– बजा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.)।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, मचीन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)